

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9572

दिनांक - 08.12.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 बालकंवर पत्नी हाकमसिंह 2 भागीरथसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति राजपूत निवासी दानजी की होदी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

1 मोहनसिंह 2 मदनसिंह पिसरान नाथुसिंह 3 लहरकंवर पत्नी नाथुसिंह जाति राजपूत निवासी दानजी की होदी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 3 आयुक्त नगर परिषद् बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 743/2025 दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर शहर पटवार हल्का बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 2657/1306 रकबा 0.6799 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 08.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9573-76

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर शहर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. बालकंवर पत्नी हाकमसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी दानजी की होदी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मोहनसिंह पुत्र नाथुसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी दानजी की होदी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी

बाड़मेर

